जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत वितरण निगमों की वीडियो कान्फ्रेंस

‘हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार’ योजना में शिविर स्थल पर ही कनेक्शन जारी करें

— ऊर्जा राज्य मंत्री

जयपुर, 21 जुलाई। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से वितरण निगमों के अधिकारियों को कहा कि 15 अगस्त से शुरु हो रहे ‘हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार’ योजना के तहत लगने वाले शिविरों में शिविर स्थल पर ही बिजली कनेक्शन जारी कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा, तीनों डिस्कॉम के अध्यक्ष श्री भास्कर ए. सावंत एवं जोधपुर डिस्कॉम की प्रबन्ध निदेशक आरती डोगरा भी उपस्थित रहे।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने मुख्य अभियन्ता, सभी वृतों के अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ताओं को कहा कि ‘हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार’ योजना के तहत अगस्त एवं सितम्बर माह में चार चरणों में लगने वाले शिवरों का आयोजन किसी बड़ी ग्राम पंचायत पर करें, जहां अधिक संख्या में घरेलू कनेक्शन दिए जाने हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगले शिविर से पूर्व पहले शिविर के सभी कार्य पूरे हो जाने चाहिए तथा उपभोक्ताओं की कोई अन्य शिकायतें हो तो उन्हें भी दूर करे, जिससे उपभोक्ताओं को समस्या समाधान के लिए चक्कर नही लगाने पड़े।

ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि कनेक्शन जारी करने के लिए आवश्यक सभी सामान की जैसे मीटर, केबल आदि की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नए बिजली कनेक्शन के अलावा मीटर बदलनें में भी प्राथमिकता निर्धारित करें कि जो सबसे अधिकर समय से खराब मीटर है उसे पहले बदलें। उन्होंने कहा कि पचांयत समिति की हर माह होने वाली मीटिंग में जा कर बताना चाहिए कि क्षेत्र में बिजली से सम्बन्धित कहां क्या कार्य हो रहे है और उसका जनप्रतिनियों से चर्चा कर सत्यापन भी करें।

प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि विद्युत दुर्घटना रोकने के लिए हाई रिस्क बिन्दुओं को चिन्हित करें तथा जो कार्य हो गया है वह भी चिन्हित होना चाहिए कि कहां पर कार्य हुआ है। उसका डाईग्राम तैयार करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्किल के सभी फीडरों का डाटा सर्किल कार्यालय में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने के लिए की जा रही सतर्कता जांच में वीसीआर भरने की कार्यवाही मौके पर ही करें तथा उपभोक्ता के हस्ताक्षर भी करवाएं। इसमें कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्वेश्य केवल वीसीआर भरना ही नही हो बल्कि बिजली चोरी को रोकना एवं राजस्व को बढाना भी होना चाहिए।

श्री मल्होत्रा ने ‘हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार’ में घरेलू बिजली कनेक्शन तुरन्त जारी हों, कॉल सेन्टर पर दर्ज शिकायतों का तुरन्त समाधान हो, बिजली जनित हादसों को रोकना एवं एफआईपी के कार्यों में तेजी लाना एवं बिजली चोरी एवं छीजत में कमी लाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष एवं जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री भास्कर ए. सावंत ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से कहा कि 'हर घर बिजली डिस्कॉम आपके द्वार' योजना के तहत पहला शिविर 16 अगस्त, दूसरा 30 अगस्त को तीसरा 13 सितम्बर को एवं चतुर्थ शिविर 27 सितम्बर को आयोजित किया जायेगा। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर सबसे अधिक घरेलू कनेक्शन सम्भावित क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया जावे एवं शिविर स्थल के राजस्व ग्राम के कनेक्शन उसी दिन जारी किए जावे। उन्होंने कहा कि मौजूदा विद्युत तंत्र से सर्विस लाइन से कनेक्शन दिया जाना हो तो उसे तुरन्त जारी करे तथा शिविर के दिन ही कनेक्शन के लिए आवेदन करने वालों को कनेक्शन देने की दिनांक का एवं टीम इन्चार्ज का नाम एवं टेलीफोन नम्बर शिविर स्थल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

श्री सावंत ने कहा कि कनेक्शन के लिए जारी किए जाने वाले एससीओ पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर होने पर ही वास्तव मे कनेक्शन देना माना जायेगा। उन्होंने सभी अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर दुर्घटना सम्भावित जगहों को चिन्हित करे। हाई रिस्क बिन्दुओं में से कितने ठीक कर दिए गए हैं तथा कितना कार्य बचा है उसकी सूचना सहायक अभियन्ता कार्यालय में होनी चाहिए। उन्होंने अधिशाषी अभियन्ताओं को निर्देश दिए कि उनको सब–स्टेशन पर जाकर देखना चाहिए कि सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था है या नही।

डिस्कॉम अध्यक्ष ने कहा कि कृषि के लिए निर्धारित ब्लॉक आपूर्ति की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि इसमें कोताही बरती गई तो फीडर मैनेजर के साथ ही अधिशाषी अभियन्ता भी जिम्मेदार होंगे तथा अतिरिक्त बिजली सप्लाई की वजह से हुए नुकसान की राशि का उल्लेख दी जाने वाली चार्जशीट में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 महिने से अधिक पुराने खराब मीटरों को तुरन्त बदलने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि केवल वीसीआर भरने से कार्य नही चलेगा इसके साथ ही प्रशमन की कार्यवाही करें तथा जुर्माना राशि जमा नही कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे। इसके साथ ही उन्होंने लासेज को कम करना, प्री पेड मीटर लगाने, जलदाय विभाग से बकाया राशि की वसूली सहित एफआईपी एवं एसआईपी के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

वीडियो कान्फ्रेंस में जयपुर डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी, निदेशक वित, ओएसडी एटीआर, अधीक्षण अभियन्ता एमआईएस व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 248/2015